न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 236/21
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा निवासी ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा हाल निवासी 221, सूर्य नगर थाना गलतागेट जयपुर।
2. श्री शंकर पुत्र श्री मोहन लाल निवासी नागतलाई कच्ची बस्ती, थाना गलता गेट जयपुर वाहन चालक।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 28.04.2014 को पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर द्वारा प्रस्तुत तहरीर अनुसार दौराने गश्त पुलिस द्वारा वाहन टाटा मैजिक आरजे–14–जीडी–0303 को चैक करने पर वाहन में 8 ड्रम नीले केरोसीन के भरे हुये मिले। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि वाहन को 600 रु. किराये में करके नकचीघाटी के डीलर से नीला केरोसीन तेल 25 रु. लीटर से विक्रय हेतु खरीदा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी। सूचना पर प्रार्थी मय जांच दल के पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त केरोसीन बाबत पूछताछ करने पर उसके द्वारा कोई खरीद बिल या कोई अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया गया एवं ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। वाहन में मिले 8 लोहे के ड्रम मय 1600 लीटर केरोसीन व टाटा मैजिक आरजे–14–जीडी–0303 को जब्त किया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। तामील रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 अब उक्त पते पर निवास नहीं करता, उसे पूर्व में किराये पर रहना बताया गया है। ऐसे में अप्रार्थी को तामील कराना संभव नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की सम्यक तामील होने पर अप्रार्थी सं. 2 को सहअभियुक्त मानते हैं। अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित हैं। अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 28.04.2014 को जब्त केरोसीन को क्रय करने संबंधी दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थीगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त जब्त केरोसीन नकचीघाटी से 25 रु. लीटर से विक्रय हेतु खरीदा गया। नीला केरोसीन खुले बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन को अवैध क्रय एवं अधिक लाभ कमाने हेतु विक्रय कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त केरोसीन नकचीघाटी से विक्रय हेतु खरीदने की स्वीकारोक्ति से उक्त जब्त केरोसीन की कालाबाजारी किया जाना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.04.2014 की कार्यवाही के दौरान जब्त 1597.750 लीटर केरोसीन(सेम्पल लेने के पश्चात) मय 8 लोहे के ड्रम तथा इनके अवैध परिवहन में काम में ली जा रही टाटा मैजिक आरजे–14–जीडी–0303 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।